न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 155/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
पुखसिह पुत्र सोना उर्फ सोहनसिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम भिंवली तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1– प्रकाशसिह पुत्र स्व0 रघुनाथसिह जाति रावणा राजपूत निवासी सोजत रोड, सियाट चुंगी नाके के पास हिन्दुस्तान फैक्ट्री के पास, सोजत रोड, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली 2– जसवंतसिह पुत्र स्व0 रघुनाथसिह जाति रावणा राजपुत निवासी सोजत रोड, सियाट चुंगी नाके के पास, हिन्दुस्तान फैक्ट्री के पास, सोजत रोड, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली 3– राजुकंवर पुत्री स्व0 रघुनाथसिह पत्नी मोतीसिह निवासी ग्राम खारिया नीव, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली 4– रेखा पुत्री स्व0 रघुनाथसिह पत्नी चैनसिह जाति रावणा राजपूत निवासी ग्राम सियाट तहसील सोजत सिटी, जिला पाली 5– अनुकंवर बेवा स्व0 महेन्द्रसिह जाति रावणा राजपूत निवासी दाता की होटल,ग्राम सोजत रोड, चुंगी नाका के पास, हिन्दुस्तान फैक्ट्री के पास, सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली 6– कुसुम पुत्री स्व0 महेन्द्रसिह 7– रिंकु पुत्री स्व0 महेन्द्रसिह 8– राजवीरसिह पुत्र स्व0 महेन्द्रसिह रेस्पो0 संख्या 6 से 8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया उनकी माता अनुकंवर बेवा महेन्द्रसिह जाति रावणा रापजूत निवासी दाता की होटल,ग्राम सोजत रोड, चुंगी नाका के पास, हिन्दुस्तान फैक्ट्री के पास, सोजत रोड, तहसील सोजत, जिला पाली 9– ग्राम पंचायत बोरनडी तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व अपील संख्या 30/2015 अनवान पुखसिंह बनाम ग्राम पंचायत बोरनडी मे दिनांक 16–6–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1–श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–रेस्पो0गण अधिवक्ता बावजुद सूचना के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 27–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भिंवली तहसील मारवाड जंक्शन के खसरा नंबर 56, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एवं 67 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मे अपीलांट एवं उसका सगा भाई रघुनाथसिह सह खातेदार थे । उक्त भूमि के सह खातेदार रघुनाथसिह ने अपने हक व हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड हक तर्कनामा दिनांक 21–11–2014 के जरिये अपने सगे भाई वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे तर्क कर दिया तथा उक्त हक तर्कनामे के दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन संख्या 377 पटवारी हल्का ने भरकर पेश किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत बोरनडी ने यह नोट लगाते हुए कि कोर्ट मे मामला चल रहा है, विवादित होने से अस्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रथम अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बोरनडी मे रखते हुए यह विवेचन करते हुए कि हक तर्कनामे को शुन्य कराने हेतु प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है तथा न्यायालय से स्थगन है का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2016 के द्वारा खारीज कर दी जाने पर अपीलांट ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उक्त अपील दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारो को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर रेस्पो0 संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता ने वकालातनामा पेश किया तथा शेष रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5, 6, 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता ने पत्रावली पर अण्डरटेंकिंग दी गई । रेस्पो0 अधिवक्ता को बहस हेतु न्यायालय समय मे आवाजे दिलवाई गई तथा दूरभाष पर भी बहस हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिये जाने पर वे उपस्थित नही हुए । अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि खातेदार रघुनाथसिह ने अपने जीवनकाल मे ही अपने हिस्से की भूमि का हक तर्कनामा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित कर उसे दिनांक 21–11–2014 को रजिस्टर्ड करवा दिया था इसलिए अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड हक तर्कनामे के दस्तावेज को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय निरस्त नही कर देता तब तक ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत किया जाना आवश्यक था परंतु सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा उक्त म्युटेशन पर कोर्ट मे मामला चल रहा है, विवादित मामला है, का नोट लगाते हुए अस्वीकृत कर देने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील को सरसरी तौर पर खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित हक तर्कनामे के दस्तावेज को शून्य घोषित करवाने हेतु सिविल न्यायाधीश (क0ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मारवाड जंक्शन मे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 3–1–15 को मात्र वादग्रस्त भूमि के बेचान हस्तांतरण पर रोक के आदेश पारित किये हुए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित हकतर्कनामा के संबंध मे वाद न्यायालय मे विचाराधीन होने से अपीलाधीन नामांतरकरण पर सरपंच ग्राम पंचायत

द्वारा पारित आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते हुए अपीलांट की प्रथम अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि मेरे पक्ष मे निष्पादित हक तर्कनामे के दस्तावेज को यदि सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि पुनः पूर्व खातेदार रघुनाथसिह के नाम दर्ज हो जायेगी, केवल मात्र सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर देने से रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन को खारीज नही किया जा सकता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि मेरे पक्ष मे रजिस्टर्ड हक तर्कनामे का दस्तावेज को अभी तक किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नही किया है इसलिए रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे उभयपक्ष की उपस्थिति दर्शाई गई है जबकि अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता केम्प मे उपस्थित ही नही थे केवल केम्प मे वर्तमान रेस्पो0 गण के हस्ताक्षर आदेशिका पर उपलब्ध है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उन्हे बिना सुने पारित किया गया होने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलांट को सुनें पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी तथा जानकारी होते ही समयावधि मे अपील पेश कर दी है इसलिए उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार कर वर्तमान अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड हक तर्कनामे के दस्तावेज कें आधार पर नामांतरकरण की कार्यवाही करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2016, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 377 ग्राम भीवली तथा उक्त म्युटेशन पर सरपंच ग्राम पंचायत बोरनडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–2014 एवं वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जिसमे अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित रजिस्टर्ड हक तर्कनामा, सिविल न्यायाधीन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक 3–1–2015 को पारित स्थगन आदेश जिसमे दोनो पक्षकारान वादग्रस्त स्थल का बेचान हस्तांतरण नही करने का आदेश पारित किया हुआ था आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अपीलाधीन भूमि के सहखातेदार रघुनाथसिह द्वारा अपने सगे भाई पुखसिह (वर्तमान अपीलांट) के पक्ष मे उसके जीवनकाल निष्पादित एवं पंजीकृत हक तर्कनामे के दस्तावेज दिनांक 21–11–2014 के आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 377 विधिवत पटवारी हल्का ने भरकर प्रस्तुत किया, जिस पर निरीक्षक भू अभिलेख की टिप्पणी के बाद सरपंच ग्राम पंचायत बोरनडी ने कोर्ट मे मामला चल रहा है, विवादित मामला है, का उल्लेख करते हुए अस्वीकृत कर दिया । इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि जब सरपंच स्वयं की टिप्पणी मे विवादित मामला है, का उल्लेख किया तो ऐसे विवादित नामांतरकरण को

अति० संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार के समक्ष निर्णय हेतु भिजवा दिया जाना चाहिये था, क्योकि विवादित म्युटेशन पर निर्णय करने का अधिकार सरपंच ग्राम पंचायत को नही है, इस आधार पर भी अपीलाधीन म्युटेशन पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पारित अस्वीकृति का आदेश समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब उक्त म्युटेशन रजिस्टर्ड हकनामे के दस्तावेज के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरकर स्वीकृति हेतु पेश किया था तथा रजिस्टर्ड हक तर्कनामे के दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया था तो उक्त म्युटेशन को रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नही था परंतु सरपंच ग्राम पंचायत बोरनडी द्वारा उक्त म्युटेशन को मात्र कोर्ट मे मामला विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुए अस्वीकृत करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अपीलाधीन म्युटेशन पर ग्राम पंचायत बोरनडी द्वारा पारित अस्वीकृत आदेश दिनांक 28–12–2014 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन के समक्ष प्रथम अपील पेश की थी तो उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट बोरनडी पर रखते हुए उभयपक्ष उपस्थित बताते हुए निर्णय पारित किया है जबकि केम्प मे वर्तमान अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही था,केवल वर्तमान रेस्पो0गण की उपस्थिति ही आदेशिका पर दर्शाई गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांट को सुनवाइ का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2016 के द्वारा अपीलांट की अपील को इस आधार पर खारीज किया है कि अपीलाधीन हक तर्कनामा न्यायालय मे विचाराधीन है अतः अपीलाधीन नामांतरकरण के बाबत सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है । अधीनस्थ न्यायालय का यह विवेचन समर्थन योग्य नही है क्योकि वर्तमान रेस्पो0गण के पिता रघुनाथसिह की ओर से सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम खण्ड मारवाड जंक्शन के न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित हक तर्कनामे के दस्तावेज को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र पर दिनांक 3–1–15 को मात्र दोनो पक्षकारान वादग्रस्त स्थल का बेचान, हस्तांतरण नही करने बाबत स्थगन आदेश पारित किया था और उक्त आदेश से दोनो ही पक्ष पाबंद थे तो रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत करने पर किसी प्रकार की कोई रोक नही होते हुए अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलाधीन निर्णय मे सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता का विवेचन देते हुए अपीलांट की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है क्योकि अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड हक तर्कनामे का दस्तावेज आज भी प्रभाव मे है इसलिए उसके आधार पर अपीलांट के पक्ष मे म्युटेशन दर्ज किया जाना आवश्यक है । यदि माननीय सिविल न्यायालय से

अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित हक तर्कनामे के दस्तावेज को निरस्त कर दिया जाता है तो उक्त निर्णय की पालना मे अपीलाधीन नामांतरकरण मे वर्णित स्व0 रघुनाथसिह के हिस्से की भूमि स्वतः ही उनके वारिसान के नाम दर्ज हो जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–6–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 377 पर ग्राम पंचायत बोरनडी द्वारा पारित अस्वीकति का आदेश दिनांक 28–12–2014 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के पक्ष मे वर्तमान रेस्पो0गण के पिता स्व0 रघुनाथसिह द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड हक तर्कनामे के दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत वाद की नवीनतम जानकारी रेकर्ड पर लेवे एवं तत्पश्चात समस्त पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिवत म्युटेशन संबंधी आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 27–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

27.11.2020

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर